प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , राँची

डोरंडा बाजार (पानी टंकी परिसर, प्रथम तल) डोरंडा, राँची.–834002 , फैक्स/फोन नं.: 0651–2481593

पत्रांक: 08/NRDWP–130/2015(Part 2)– 52 (आ0)/SWSM दिनांक: 27.12.17

प्रेषक: स्वेताभ कुमार,
मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झारखण्ड। (यथा संलग्न विवरणी)

विषयः– NRDWP (Programme) कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में Coverage & WQ शीर्ष में केन्द्रांश से रू. 275.31 लाख मात्र, (अनुलग्नक–I - II), NRDWP O&M (Flexi Fund) शीर्ष में केन्द्रांश से रू. 57.59 लाख, राज्यांश से रू. 57.59 लाख (अनुलग्नक–III), कुल केन्द्रांश रू. 332.90 लाख एवं राज्यांश रू. 57.59 लाख कुल रू. 390.49 लाख (तीन करोड़ नब्बे लाख उनचास हजार रू0) मात्र के व्यय का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में (यथा संलग्न विवरणी अनुलग्नक–I से III)।

प्रसंगः– व्यय का स्वीकृति आदेश सं. 87/SWSM दिनांक 05.05.2017 एवं स्वीकृति आदेश सं. 32 दिनांक 12.07.2017

आदेश NRDWP (Programme) कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में Coverage & WQ शीर्ष में केन्द्रांश से रू. 275.31 लाख मात्र, (अनुलग्नक–I - II), NRDWP O&M (Flexi Fund) शीर्ष में केन्द्रांश से रू. 57.59 लाख, राज्यांश से रू. 57.59 लाख (अनुलग्नक–III), कुल केन्द्रांश रू. 332.90 लाख एवं राज्यांश रू. 57.59 लाख कुल रू. 390.49 लाख (तीन करोड़ नब्बे लाख उनचास हजार रू0) मात्र के व्यय का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है (यथा संलग्न विवरणी अनुलग्नक– I से III)।

2. स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध

क) NRDWP Coverage + W.Q. अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले प्राधिकार पत्र निम्न प्रकार है:–

i) विभिन्न निर्माणाधीन ग्रामीण जलापूर्ति योजना व्यय का स्वीकृति आदेश सं. 87/SWSM दिनांक 05.05.2017 अन्तर्गत केन्द्रांश से 9.71 लाख रुपये का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा रहा है **(यथा संलग्न विवरणी एने–I)। ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना अंतर्गत संवेदक द्वारा पाईप क्रय के विरूद्ध संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाना सुनिश्चित करेंगें मात्र पाईप बिछाने के उपरांत ही संवेदकों का भुगतान किया जा सकेगा।** योजना पूर्ण होने के उपरांत e-mRWS App के द्वारा भारत सरकार के Website- www.indiawater.gov.in पर फोटो अपलोडिंग के पश्चात ही योजना पूर्ण समझी जायेगी एवं इसके पश्चात ही स्वीकृति आदेश के अनुसार संवेदक का रख–रखाव प्रारम्भ होगा।

ii) सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माणाधीन ग्रामीण जलापूर्ति योजना व्यय का स्वीकृति आदेश सं. 87/SWSM दिनांक 05.05.2017 अन्तर्गत केन्द्रांश से 265.60 लाख रुपये का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा रहा है **(यथा संलग्न विवरणी एने–II)। ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना अंतर्गत संवेदक द्वारा पाईप क्रय के विरूद्ध संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाना सुनिश्चित करेंगें मात्र पाईप**

कृ.पृ.उ.

बिछाने के उपरांत ही संवेदकों का भुगतान किया जा सकेगा। योजना पूर्ण होने के उपरांत e-mRWS App के द्वारा भारत सरकार के Website- www.indiawater.gov.in पर फोटो अपलोडिंग के पश्चात ही योजना पूर्ण समझी जायेगी एवं इसके पश्चात ही स्वीकृति आदेश के अनुसार संवेदक का रख–रखाव प्रारम्भ होगा।

(ख) NRDWP O&M (Flexi Fund) अन्तर्गत

i) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित नलकूपों की मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य इसके आवश्यक अवयवों, सामग्रियों के व्यवस्थापन एवं मजदूरी इत्यादि के लिये NRDWP Flexi Fund अन्तर्गत स्वीकृति आदेश सं. 32 दिनांक 12.07.2017 अन्तर्गत केन्द्रांश से रू. 57.59 लाख, राज्यांश से रू. 57.59 लाख का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा रहा है **(यथा संलग्न विवरणी एने–III)। नलकूपों के साधारण मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक 904/SWSM दिनांक 09.06.2017 द्वारा ग्रीष्म ऋतु में नलकूपों के साधारण मरम्मति से संबंधित निर्गत आदेश के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।**

स्वीकृत्यादेश सं. 32 दिनांक 12.07.2017 के कंडिका 8 (i), (ii) निम्नवत हैः–

(i) नलकूपों के साधारण मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु चापाकल के Spare Parts के लिए रुपये 660.00 प्रति चापाकल, मानव बल–रुपये 212.00 प्रति चापाकल एवं अन्य– रुपये 50.00 प्रति चापाकल कुल 922.00 रुपये प्रति चापाकल की दर से स्वीकृति की जा रही है। आवश्यकतानुसार संबंधित अधीक्षण अभियंता से स्वीकृति के उपरान्त मदवार राशि में बदलाव किया जा सकता है।

(ii) **उपरोक्त प्रति नलकूप स्वीकृत राशि के समानुपातिक मरम्मति की गयी नलकूपों की संख्या के अनुसार ही संबंधित कार्यपालक अभियंता व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।**

3. योजना के मूल स्वीकृत्यादेश में वर्णित सभी शर्तों एवं निदेशों, NRDWP के मार्गदर्शिका एवं PWD कोड के वर्णित कंडिकाओं एवं अन्य शर्त्तों, बंधेजों तथा वित्तीय नियमों/परिपत्रों के तहत् शत्–प्रतिशत अनुपालन संबंधित कार्यपालक अभियंता करना सुनिश्चित करेंगे।
4. अनुलग्नक–I-II में निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के योजनावार मूल स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 तक व्यय की गयी राशि एवं अवशेष राशि का मिलान कर संबंधित कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे। इस प्राधिकार पत्र में किसी प्रकार की गणना/टंकण इत्यादि में त्रुटि होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता मुख्यालय को अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
5. राज्य में चालू ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का भारत सरकार के Website- www.indiawater.gov.in पर इंट्री करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि का व्यय Online किया जा सके।
6. केन्द्रांश की निर्गत राशि का व्यय कुल उपलब्ध राशि में NRDWP (Coverage + Quality and O&M) कार्यक्रम हेतु भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा पी०एम०यू० के बैंक खाते बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, डोरण्डा, राँची के खाता सं. 495810110001444 में उपलब्ध कराये गये राशि से किया जायेगा।
7. राज्यांश की निर्गत राशि का व्यय भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा निर्गत राशि के समतुल्य राज्यांश की राशि पी०एम०यू० के बैंक खाता संख्या–495810110001444 NRDWP (Coverage + Quality and O&M) में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।
8. सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, इस राशि की निकासी बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा द्वारा उनको निर्गत चेक पुस्तिका (Cheque Book) से करेंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की निकासी एवं व्यय निर्गत राशि के अधीन करेंगे। तदनुसार इससे संबंधित व्यय प्रतिवेदन बैंक एवं PMU को प्रतिवेदित करेंगें।
9. सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, NRDWP कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराये गये सभी योजनाओं (पूर्ण अथवा निर्माणाधीन) का अवयववार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का वार्षिक पुस्तिका तैयार करायेंगे। इस पुस्तिका में योजना का नाम, प्रखण्ड,

कृ. पृ. उ.

पंचायत, गाँव, टोला, लाभान्वित होने वाली जनसंख्या, स्वीकृत राशि, लागत राशि, योजना का Photograh, योजना की अद्यतन स्थिति इत्यादि वर्णित हो।

10. मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक पी०एम०यू०, बैंक से की गई निकासी, लेखा का मिलान एवं सत्यापन नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगें तथा सभी कार्यपालक अभियंता से तत्संबंधी प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक खाता में अद्यशेष राशि का अनुश्रवण (Monitoring) करेंगे।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण किसी अन्य योजना से नहीं हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्यों अथवा मदों पर राशि का विचलन कर व्यय नहीं किया जाय।
12. सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का भारत सरकार के वेबसाईट पर मासिक रूप से IMIS Online entry करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ योजना से लाभान्वित होने वाले टोलों, जनसंख्या एवं गृह संयोजन का इंट्री भारत सरकार के वेबसाईट पर मासिक रूप से IMIS Online entry करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक माह के मासिक लेखा प्रमाणक सहित अगले माह के 9 तारीख तक PMU में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. योजना पूर्ण होने के पश्चात स्त्रोत एवं लाभान्वित होने वाले प्रत्येक टोलों का फोटो mRWS Software से भारत सरकार के Website- www.indiawater.gov.in पर फोटो Uploading करना सुनिश्चित किया जाय।
14. विभागीय पत्रांक– 08/NRDWP-43/2013-4003 दिनांक 20.09.2013 के द्वारा पत्र जो बहुपंचायती ग्रामीण जलापूर्ति योजना से संबंधित है, में वर्णित सभी शर्तों एवं निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
15. दिनांक 07.05.2016 को विभागीय प्रधान सचिव के द्वारा Video Conferencing के माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से संबंधित पुनरीक्षित प्राक्कलन, समय वृद्धि इत्यादि पर दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
16. यह प्राधिकार पत्र वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मान्य है।

अनुलग्नक– यथोपरि I से III

(स्वेताभ कुमार) 27/12/17
मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांकः– 08/NRDWP–130/2015(Part 2)– 52(अ०)/SWSM दिनांक 27.12.17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ अग्रसारित।

2. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. बैंक प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है, कि इस प्राधिकार पत्र के अनुरुप NRDWP कार्यक्रम अन्तर्गत PMU के खाता सं० 495810110001444 में केन्द्रांश एवं राज्यांश की शीर्षवार उपलब्ध राशि से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, एवं महालेखाकार द्वारा प्रतिनियुक्त लेखा पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के प्राप्त नमुने के आलोक में कार्यपालक अभियंता के पदनाम से जारी चेक पर कार्यपालक अभियंता एवं लेखा पदाधिकारी/वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित रहने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र में अंकित राशि के अधीन केन्द्रांश की राशि की निकासी सुनिश्चित की जाय। बैंक प्रत्येक माह NRDWP निधि का लेखा नियमित रूप से DDO's, PMU, भारत सरकार एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपलब्ध करायेंगे। बैंक द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं के लिए योजनावार अलग–अलग Ledger संधारित किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि की सूचना तुरंत PMU तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव के सचिव/अभियंता प्रमुख/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियंता (मु०) के प्रावैधिक सचिव/ कार्यपालक अभियंता (अन्वे०)/प्रशाखा पदाधिकारी–8/ State

कृ.पृ.उ.

Coordinator IT/ संबंधित सहायक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. स्टेट कोडिनेटर, (IT) को Online Entry करने तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक– यथोपरि I से III

(स्वेताभ कुमार)
मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक

Annex.-I

Programme Management Unit
Drinking Water & Sanitation Department, Jharkhand

Amount Released for Ongoing Schemes under NRDWP Coverage & Water Quality for the F.Y. 2017-18

क्र0	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	Original Sanction No./ Date	Original Sanction Amount			Expenditure upto 2016-17			Sanction for Expenditure for F.Y. 2017-18 Vide Lt. No. 87/SWSM Dt. 05.05.017			Previous Release in FY 2017-18 vide Lt. No. 06/20.05.17, 08/26.05.17, 11/08.06.17, 15/22.06.17, 22/02.08.17, 23/08.08.17, 33/08.09.17, 37/06.10.17, 51/15.12.17 Surrender vide Lt. No. 1696/30.11.17			Current Release			Remarks
				CS	SS	Total	CS	SS	Total	CS	SS	Total	CS	SS	Total	CS	SS	Total	
	TSP																		
1	गुमला	भरनो ग्रा0जला0 यो0	180.24.01.14	222.41825	222.41825	444.83650	158.04760	222.41825	380.46585	64.37065	0.00000	64.37065	0.00000	0.00000	0.00000	9.71000	0.00000	9.71000	
Total				222.41825	222.41825	444.83650	158.04760	222.41825	380.46585	64.37065	0.00000	64.37065	0.00000	0.00000	0.00000	9.71000	0.00000	9.71000	

Rs. 9.71 Lakh (Nine Lakh Seventy One Thousand) Only

52 (आ0)/SWSM
दि0 27.12.17

(स्वेताभ कुमार)
मुख्य अभियंता (पी.एम.यू.)
27/12/17

Annex.-II

Programme Management Unit

Drinking Water & Sanitation Department, Jharkhand

Amount Released for RPWSS (SAGY Sanctioned in 2016-17) under NRDWP Coverage & Water Quality for the F.Y. 2017-18

(Rs. In Lakh)

क्र0	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	Sanction No. & Date	Original Sanction Amount			Expenditure upto 2016-17			Sanction for Expenditure for FY 2017-18 vide Lt. No. 87/05.05.17			Previous Release in FY 2017-18 Vide Lt. No. 06/20.05.17, 08/26.05.17, 11/08.06.17, 15/22.06.17, 18/29.06.17, 23/08.08.17, 27/28.08.17, 37/06.10.17, 45/23.11.17, 51/15.12.17 Surrender vide Lt. No. 1696/30.11.17			Current Release			Remarks
				CS	SS	Total	CS	SS	Total	CS	SS	Total	CS	SS	Total	CS	SS	Total	
	OSP																		
1	धनबाद–1	रतनपुर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (SAGY)	78/03.11.16	349.82175	349.82175	699.64350	0.00000	73.81750	73.81750	349.82325	276.00425	625.82750	0.00000	200.00000	200.00000	200.00000	0.00000	200.00000	
2	झुमरीतिलैया	चोपनडीह पंचायत ग्रा.पा.जला.योजना, झुमरीतिलैया	122/16.02.17	328.00000	328.00000	656.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328.00000	328.00000	656.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.60000	0.00000	65.60000	
Total				677.82175	677.82175	1355.64350	0.00000	73.81750	73.81750	677.82325	604.00425	1281.82750	0.00000	200.00000	200.00000	265.60000	0.00000	265.60000	

Rs. 265.60 Lakh (Two Crore Sixty Five Lakh Sixty Thousand) Only

52 (आर)/SWSM

दि- 27.12.17

(स्वेता [illegible])
मुख्य अभियंता (पी.एम.यू.)
27/12/17

Annexure-III

PROGRAMME MANAGEMENT UNIT
DRINKING WATER AND SANITATION DEPARTMENT, JHARKHAND
Amount Released for RM to DT for the Financial Year 2017-18 under NRDWP (O&M) Flexi Fund

(Rs. In Lakh)

Sl.	Division	No. of Panchayat	Running T/wells as on 01.02.2017	Sanction Amount vide Lt. No. 32/12.07.17			Previous Release in FY 2017-18 vide Lt. No. 27/28.08.17, 37/06.10.17, 38/16.10.17, 45/23.11.17, 51/15.12.17 AND Surrender vide Lt. No. 1696/30.11.17			Current Release under Flexi Fund			Remarks
				Central Share	State Share	Total	Central Share	State Share	Total	Central Share	State Share	Total	
1	2	3	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13
TSP													
1	Khunti	86	7976	12.13000	12.13000	**24.26000**	6.06500	6.06500	**12.13000**	6.06500	6.06500	**12.13000**	
2	Gumla	159	12839	19.53000	19.53000	**39.06000**	9.76500	9.76500	**19.53000**	9.76500	9.76500	**19.53000**	
3	Simdega	94	10364	15.77000	15.77000	**31.54000**	7.88500	7.88500	**15.77000**	7.88500	7.88500	**15.77000**	
4	Chaibasa	131	11847	18.02000	18.02000	**36.04000**	9.01000	9.01000	**18.02000**	9.01000	9.01000	**18.02000**	
	Total :	**470**	**43026**	**65.45000**	**65.45000**	**130.90000**	**32.72500**	**32.72500**	**65.45000**	**32.72500**	**32.72500**	**65.45000**	
OSP													
5	Garhwa	193	12445	18.93000	18.93000	**37.86000**	9.46500	9.46500	**18.93000**	9.46500	9.46500	**18.93000**	
6	Hazaribagh	257	16066	24.44000	24.44000	**48.88000**	19.55000	19.55000	**39.10000**	4.89000	4.89000	**9.78000**	
7	Dhanbad-I	106	5665	8.62000	8.62000	**17.24000**	4.31000	4.31000	**8.62000**	4.31000	4.31000	**8.62000**	
8	Madhupur	100	8154	12.40000	12.40000	**24.80000**	6.20000	6.20000	**12.40000**	6.20000	6.20000	**12.40000**	
	Sub Total :	**656**	**42330**	**64.39000**	**64.39000**	**128.78000**	**39.52500**	**39.52500**	**79.05000**	**24.86500**	**24.86500**	**49.73000**	
	Grand Total :	**1126**	**85356**	**129.84000**	**129.84000**	**259.68000**	**72.25000**	**72.25000**	**144.50000**	**57.59000**	**57.59000**	**115.18000**	

Rs.115.18 lakh (One Crore Fifteen Lakh Eighteen Thousand) Only

52 (आ०)/ swsm
दि० 27.12.17

(स्वेता कुमारी)
मुख्य अभियंता (पी०एम०यू०)
27/12/17